

26-07-2021

पत्रावली पेश हुई।

यह प्रार्थना-पत्र मूल अपील के साथ पेश किया गया था। मूल अपील में निर्णय होने के कारण से इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल अपील के साथ नत्थी की जाकर पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।


असि जिला इन्सपेक्टर (सीलिंग)
पानी (शुब)